भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1050

सोमवार, 02 दिसम्बर, 2024 / 11 अग्रहायण, 1946 (शक)

कृषि श्रमिकों हेतु योजनाएं

1050. श्रीमती मंजू शर्माः
श्री देवेश चन्द्र ठाकुरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि श्रमिकों को दुर्घटना होने की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को किसी प्रकार का अनुदान प्रदान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का योजना-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 में अन्य बातों क साथ-साथ, कृषि श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि संबंधित मामलों पर केन्द्र सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने के उपबंध हैं।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) में द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रति पात्र परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) को व्यापक स्वास्थ्य बीमा के साथ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विस्तारित कर दिया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) कृषि श्रमिकों सहित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। पीएमएसबीवाई में दुर्घटना के कारण मृत्यु या नि:शक्तता होने पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। पीएमजेजेबीवाई में किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमा कवर प्रदान किया जाता है। दिनांक 06.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 47.28 करोड़ लाभार्थी पीएमएसबीवाई के तहत नामांकित हैं और लाभार्थियों को 2916 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है; पीएमजेजेबीवाई में लगभग 21.52 करोड़ लाभार्थी नामांकित हैं और लाभार्थियों को 17,111 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी कृषि श्रमिकों सहित कामगारों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाती हैं। बजट आबंटन और व्यय संबंधित योजनाओं के उपबंधों के अनुसार किए जाते हैं।

*****